न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जौनपुर।
प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–10/2018 (रजि0 नं0–10/2018)
सीएनआर.नं0– यूपीजेपी. 010004482018
रामजीत एवं अन्य ———————बनाम———————————अमृतलाल एवं अन्य

19.09.2022

पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अपीलार्थीगण पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना पत्र 19क अपीलार्थी रामजीत दूबे की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या–1 अमृतलाल की मृत्यु दिनांक 19.10.2020 को हो गयी है उनके वारिसान उनके पुत्रगण राजेश कुमार व राकेश कुमार है। उक्त के अलावा मृतक के अन्य कोई कानूनी वारिस नहीं है। प्रस्तुत मेमो आफ अपील में कार्यवाही वरासत होना आवश्यक है। अतः मेमो आफ अपील में विपक्षी संख्या–1 अमृतलाल के नाम के आगे शब्द मृतक दर्ज करते हुये उनके स्थान पर प्रार्थना पत्र में उल्लिखित वारिसान को प्रतिस्थापित किया जाय। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र 17ग प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र 16क प्रस्तुत किये जाने में हुयी देरी को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र 18ग धारा 5 कानून मियाद अधिनियम इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अपील में विपक्षी अमृतलाल के मृत्यु की तिथि व मृतक के वारिसान का नाम व पता न मिलने की वजह से कार्यवाही वरासत में देरी हो गयी। उक्त देरी जान बूझकर नहीं की गयी है। जो देरी हुयी है वह माफ किये जाने योग्य है। अतः अमृतलाल की मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में वरासत कार्यवाही में हुयी देरी को माफ करते हुये धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देकर प्रार्थना पत्र वरासत अन्दर मियाद ट्रीट किया जाय। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में 19ग शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 20ग अबेटमेंट सेट ए साइड किये जाने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या–1 अमृतलाल की मृत्यु के बाद कार्यवाही वरासत में हुयी देरी की वजह से यदि अपील उपरोक्त अबेट करती हो तो उपरोक्त देरी जानकारी न होने से हुयी है। उसने जान बूझकर देरी नहीं किया है। यदि न्यायालय की राय में अपीलार्थी का मुकदमा अबेट कर गया हो तो उस सूरत में अबेटमेंट सेट ए साइड किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त आधारों पर वरासत प्रार्थना पत्र समय से न देने के कारण यदि अपीलीय न्यायालय की राय में अबेट माना जाये तो उस सूरत में अबेटमेंट सेट ए साइड करके प्रार्थना पत्र वरासत अन्दर मियाद ट्रीट किया जाय। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र 21ग प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वरासत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी के सम्बन्ध में धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शपथ पत्र से समर्थित है और उक्त के सम्बन्ध में अबेटमेंट सेट ए साइड प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त प्रार्थना पत्र भी शपथ पत्र से समर्थित है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थना पत्र 20ग स्वीकार करते हुये वरासत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी को माफ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 18ग धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा वरासत प्रार्थना पत्र 16क स्वीकार किया जाता है।

संशोधन प्रार्थना पत्र 16क के प्रकाश में अपील के मेमो में संशोधन अविलम्ब किया जाय।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 18.10.2022 को पेश हो।

प्रथम अपर जिला जज,
जौनपुर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 6021